

रक्षा मंत्रालयMINISTRY OF DEFENCE

संयुक्त सचिव (स्था/मु०प्र०अ०) कार्यालय
OFFICE OF THE JS (E/CAO)

विषय: तैनाती/स्थानान्तरण : कैन्टीन अटैन्डेन्ट, विभागीय कैन्टीन।

श्रीमती मनीषा सिंह (जन्मतिथि : 03-08-87, आई०डी० संख्या- ए 304414), पति -स्व० श्री रतन सिंह को दिनांक 30-03-2017 (पूर्वाहन) से अनुकम्पा के आधार पर सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों के विभागीय कैन्टीन में कैन्टीन अटैन्डेन्ट, सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1(छठे वेतन आयोग के अनुसार पे बैंड-1 एस : ₹5,200-20,200, ग्रेड पे-₹1,800) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त होने के उपरांत उन्हें विभागीय कैन्टीन, डीजीएएफएमएस में रिक्त स्थान पर उसी दिनांक से तैनात किया जाता है।

2. श्रीमती मनीषा सिंह के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापित किए जा चुके हैं और संतोषजनक पाये गये हैं।

3. श्रीमती मनीषा सिंह, कैन्टीन अटैन्डेन्ट दिनांक 30-03-2017 से दो वर्षों तक परखावधि पर रहेंगे। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। कार्मिक के एक वर्ष पूरा होने पर उनका प्रथम वर्ष का मूल्यांकन रिपोर्ट एवं द्वितीय वर्ष पूरा होने पर द्वितीय वर्ष का मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित कार्यालय द्वारा मु०प्र०अ०/एपीएआर (पी-2) सेल को भेजना होगा।

4. श्रीमती मनीषा सिंह द्वारा नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति (SC) का उचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग श्रेणी में रखा गया है। भविष्य में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की दशा में संबंधित प्रशासन अनुभाग द्वारा ही प्रमाण-पत्र की पुष्टि के पश्चात् श्रेणी परिवर्तित की जा सकेगी। यदि वे धर्म बदलते हैं तो उन्हें उसकी सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी।

5. उक्त कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट इस कार्यालय (मु०प्र०अ०/कार्मिक-2) सहित सभी संबंधित कार्यालयों को तुरंत भेज दी जाए।

अनिल कुमार
(अनिल कुमार पी)

प्र०अ०, मु०प्र०अ०/का-2(बी)

॥ अप्रैल 2017

अवैतनिक सचिव, विभागीय कैन्टीन, डीजीएएफएमएस

मु०प्र०अ०/ए-2 (बी) -

मु०प्र०अ०/भर्ती-1 के नोट सं० ए/22875/अनु/मुप्रअ/भर्ती-1/1021 दिनांक 06 अप्रैल 2017 को अनुलग्नकों सहित, मूल रूप, में भेजा जाता है।

प्रतिलिपि :-

मु०प्र०अ०/भर्ती-1

विभागीय कैन्टीन, डीजीएएफएमएस

मु०प्र०अ०/एपीएआर (का-2) सेल

मु०प्र०अ० वेबसाईट

एएफएचक्यू कैन्टीन कर्मचारी संघ

श्रीमती मनीषा सिंह - अनुपालनार्थ।